



राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04/2024

अपीलांत :-	बनाम	रेस्पोंडेंट :-
1. श्री खंगारा राम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल, निवासी राखी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, समदड़ी

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.07.2023 जो प्रकरण सं. 04/2023 तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.06.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 04/2023 सरकार बनाम खंगारा राम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2023 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.03.2024 को पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक राजस्व/2022/ 5376 दिनांक 09.09.2022 के निर्देशानुसार पटवारी हल्का राखी द्वारा तहसीलदार समदड़ी के समक्ष मौका फर्द एवं मौका जांच रिपोर्ट खंगाराराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल के खातेदारी कृषि भूमि मौजा राखी के खेत खसरा नंबर 3198/3191 रकबा 0.0971 हैक्टैयर किस्म रेतली की



भूमि पर कृषि भूमि पर आवासीय भूमि का उपयोग किया है, प्रस्तुत कर निवेदन किया। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 (अ) सपठित धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। तहसीलदार समदड़ी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को खातेदारी भूमि पर अवैध मकान निर्माण करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 27.07.2023 के द्वारा 11/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने दिनांक 07.03.2024 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित आलोच्य अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
4. अधिवक्ता अपीलांत ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि मौजा राखी तहसील समदड़ी खेत खसरा नंबर संख्या 442 (नया 3198/3191) में अवस्थित है। प्रार्थी खंगाराराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी राखी ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर को शिकायत पेश करते हुए निवेदन किया कि खसरा नंबर 442 जो खातेदारी भूमि है, जो खातेदारी समाप्त करने हेतु धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने हेतु पेश किया था। जिला कलक्टर बाड़मेर ने उक्त कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को निर्देश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी ने उक्त जांच पटवारी हल्का राखी से करवाई गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में गैर सायल जमाबंदी के अनुसार श्री खंगाराराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल के खातेदारी कृषि भूमि ग्राम राखी के खेत खसरा नंबर 3198/3191 रकबा 0.0647 हैक्टैयर किस्म रेतली की कृषि भूमि पर



प्रयोजनार्थ आवासीय भूमि का उपयोग किया है, की रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (अ) सपटित धारा 91 के तहत सुओमोटो मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को तलब किया गया। अपीलांट को जरिये इस आश्रय के नोटिस से तलब किया कि उक्त खसरा नंबर पर अनाधिकृत रूप से गैर अकृषि कार्य के रूप में अवैध अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया है। इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 29.06.2023 से पूर्व भूमि पुनः मूल स्वरूप कृषि कार्य में लौटाकर स्वयं या प्लीडर को दिनांक 30.06.2023 तहसील कार्यालय में हाजीर होवे। उक्त भूमि पर उक्त कृषि वर्ष के दौरान अधिकार करने के लिए आप पर वार्षिक दर से शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। इस पर दिनांक 27.07.2023 को तहसील समदड़ी ने इस आश्रय का आदेश पारित किया कि पत्रावली पेश हुई। गैर सालय हाजिर। गैर सायल ने सबूत एवं शहादत पेश करने में असमर्थता आहिर की। गैरसायल के शहादत एवं सबूत बंद किये जाते हैं। गैरसायल को बिना रूपान्तरण से कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया है। इस हेतु गैर सायल द्वारा बिना रूपान्तरण में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किये जाने से अतिक्रमी घोषित किया जाकर गैरसायल से एक वर्ष का लगान 0.2 का 50 गुणा 11/- रुपये बतौर जुर्माना आपोरित किया गया। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही बिना किसी वैध आधार के मात्र द्वेष भावना से की गई है, जो निरस्त करने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रत्यासत, अशुद्ध, गलत होने से निरस्त योग्य है। अपालार्थी को सनवाई सबूत का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलार्थी अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया, लेकिन प्रकरण के सभी पक्षकारों को सुनवाई सबूत का अवसर देकर विविधक तौर पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए। तहसीलदार के समक्ष अपीलांट ने सही तथ्य प्रस्तुत किये थे कि उक्त भूमि के मूल खसरा से संबंधित तत्समय के खातेदार ने



अपना हिस्सा जरिये लिखत बेचान कर दिया है, खरीददार मौके पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का उपयोग कृषि स्वरूप में नहीं हो रहा है, इसलिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए)(4)(क)(ख) अनुसार प्रिमियम लेकर निमित्त की जानी थी। उक्त तथ्यों पर कोई घोर नहीं कर और न उक्त धारा जिनके संबंध में अपीलांट ने अनुतोष चाहा था, के बारे में अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर मनमाने तौर से अपीलाधीन आदेश पारित कर मौके पर काबिज अपीलांट को बेदखल करने का अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है। बिना विधिसम्मत आदेश पारित किये ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भुल की है। जो अंगूष्ठ निशान, हस्ताक्षर अपीलांट के बताये गये हैं, वो न्यायालय में उपस्थित हुए थे इस बाबत बताये गये। सुनवायी या अन्य सबूत प्रस्तुत करने के संबंध में न तो कोई मांग की गई और न ऐसी कोई प्रक्रिया ही हुई। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया एक पक्षीय व मनमानी रूप से की गई है। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो एकपक्षीय रिपोर्ट पर लिखित एतराज भी प्रस्तुत किया जाता और वास्तविक रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मंगवाई जाती जो न्याय निर्णयन करने में मददगार साबित होती, इस प्रकार यह आदेश पारित करने में कानूनी भुल की है, जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ तहसीलदार ने उक्त अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं एकांकी रूप से पारित किया है, अपीलार्थी/गैरसायल को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है और न ही उक्त प्रकरण में अंतिम बहस उभय पक्षों की सुनी गई। अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2023 की तारीख में पारित कर सुनाया जाना बताया गया है, जबकि ऐसा कोई आदेश उस रोज न तो लिखवाया गया और न सुनवाया गया। जब अपीलांट दिनांक 19.10.2023 को प्रकरण की जानकारी करने हेतु अधिनस्थ तहसीलदार समदड़ी गये तो प्रथम बार तथ्यों की जानकारी हुई



कि प्रकरण का फैसला गुणावगुणों पर उपस्थिति बताते हुए कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2023 को पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम राखी के खसरा नंबर 3198/3191 पर अपना कब्जा-अधिपत्य होना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर के समक्ष मौजा राखी खसरा संख्या 442 बीघा 09.04 बीघा की खातेदारी समाप्त करने हेतु धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर बाड़मेर के निर्देशानुसार उक्त खसरे की खातेदारी समाप्त कर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही नहीं करते हुए गैर सायल द्वारा बिना रूपान्तरण में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किये जाने से अतिक्रमी घोषित किया गया। पत्रावली में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरान नंबर के मौके पर अपीलांट के खातेदारी में मकान बने हुए है और इनका निवास है, एवं जमाबंदी में खातेदारी कृषि भूमि बताई गई। अधिवक्ता अपीलांट के कथनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया। इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(अ) की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है, जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच, अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से



3

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से उक्त आलोच्य आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांत के विरुद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 90 (अ) आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें। साथ ही उचित पाए जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 177 की नियमानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा